

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या-1755/XXV-12(11)/2021

देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2021

13 अक्टूबर
स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री राजकुमार (एडवोकेट),
संयोजक- संविधान बचाओ ट्रस्ट,
चैम्बर नं०-365 जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्पस,
उ०प्र० पिन कोड-247001,
Email- samvidanbachaotrust@gmail.com

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 01-10-2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुआ है में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यालय में धारित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं-

बिन्दु संख्या-	सूचना का विवरण
बिन्दु-3,	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-52/2/Prep/2019/EMS दिनांक 2 जनवरी 2020 कुल पृष्ठ-3 (तीन) लोक सभा निर्वाचन-2019 में सीलों पर व्यय भुगतान के देयक की प्रति (कुल 6(छः) पृष्ठों में)
बिन्दु-6	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियमों की प्रति पृष्ठ सं०-41,42, 73, 74 एवं 75 (कुल 05 (पांच पृष्ठ)
बिन्दु संख्या-1 से 8 तक	समस्त बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्य लोक सूचना अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र संख्या-1719 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 द्वारा हस्तान्तरित किया गया है, जिसकी प्रति अनुरोधकर्ता को भी उपलब्ध करायी गयी है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।
संलग्नक-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता-

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून- 248001,

भवदीय,
B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

वि.सू. सं. - 3

By Speed Post

01/01/2020



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 52/2/Prep/2019/EMS

Dated: 2nd January, 2020.

To

The Chief Electoral Officers of
All States & Union Territories.

Sub: Intimation of revised Selling Rates for the F.Y. 2019-20-Regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the copy of letter, dated 10th April, 2019, received from the India Security Press, on the subject cited, for your information and further necessary action.

Yours faithfully,

Adel. C. E. O.

Jt. C. E. O.

Lata Tripathi

(Lata Tripathi)

Under Secretary

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

7-1-2020

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून
10-1-2020

A. C. E. O.

E.

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

13-1-2020

S.O.C.D.)

M. S.

14/1/2020

ACEO

Dr. V. K. ARO

Dr. 14/1/2020

विज्ञापन - 3
S.No. 11 (R)



SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.) WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel. No: +91-253-2402200; Fax No: +91-253-2462718, 2466389
e-mail: secprint_nsk@sancharnet.in
Web: <http://ispnasik.spmcil.com>
CIN:U22213DL2006GO1144763

Handwritten notes:
copy
MSG
EoS

Ref. No. C.S.D.23-Bill/MISC/24

BY REGD. POST

Date: 10-04-2019

3555

The Under Secretary,
Election Commission of India,
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,
NEW DELHI - 110 001 (Delhi).



Sub.: Intimation of revised Selling Rates for the F.Y. 2019

I am directed to inform that the selling rates of Election materials for the financial year 2019-2020 as mentioned in Annexure is enclosed herewith.

Our bank details are given below for remittance of our bills.

Bank Details
Name : INDIA SECURITY PRESS (A UNIT OF SPMCIL)
A/c No : 04560350000049
IFSC Code : HDFC0000456
Bank Name : HDFC BANK LTD, BYTCO POINT, NASHIK.
Type of Account : Current

If remittance made in the above account payment details may please be sent by post or e-mail or fax.

It is also informed that as per the Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) Central Board of Indirect Taxes and Customs Notification No.73/2018 - Central Tax (Copy enclosed) not to deduct the G.S.T. while making payments.

Please acknowledge receipt of the same.

Encl.:- As above.

Yours faithfully,

(P.M. ADHAV)
SR. SUPERVISOR (S&T)


19.3 संख्या - 3

79

INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD
(A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

Selling Rates for the Year 2019-20

Sr. No.	Particulars	Unit of Measure	Selling Rate for F.Y. 2019-20
1	Blue Paper Seals	Per No.	3.50
2	Green Paper Seals	Per No.	3.50
3	Pink Paper Seals for EVM (B.U.)	Per No.	11.00
4	Pink Paper Seals for EVM (C.U.)	Per No.	11.00
5	Outer Paper Strip Seals for EVM (C.U.)	Per No.	15.00
6	Outer Paper Strip Seals for State Election Commission	Per No.	15.00
7	Common Address Tag (BU/CU/VVPAT)	Per No.	11.00
8	Dummy Blue Paper Seals	Per No.	3.50
9	Blue Paper Seals for State Jharkhand/Haryana	Per No.	8.00
10	Dummy Green Paper Seals for Ballot Boxes	Per No.	46.00
11	Dummy Pink Paper Seals for EVM W/o Number (B.U.)	Per No.	11.00
12	Dummy Pink Paper Seals for EVM W/o Number (C.U.)	Per No.	11.00
13	Outer Paper Strip Seal for C.U. W/o Numbering for EVM	Per No.	15.00
14	Dummy Paper Strip Seals for State	Per No.	15.00
15	Common Dummy Address Tag (BU)	Per No.	11.00
16	Dummy Address Tag (CU)	Per No.	11.00
17	Address Tag For CU After Counting Over	Per No.	11.00
18	Pink Paper Seal for Kerala & Haryana	Per No.	14.00


(P.M. JADHAV)
SR. SUPERVISOR (S&D)



India Security Press, **वि.उ.ए. सं-३**
 (A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.) WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
 Nashik Road-422101 (Maharashtra)
 (ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
 Miniratna Category-I, CPSE
 Tel.No:+91-253-2402200; Fax No:+91-253-2462718,2466389
 e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
 CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

Tax Invoice / Bill

Bill to

GSTIN:
 The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of
 Uttarakhand,
 Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
 Uttarakhand

Shipping Address

The Joint Chief Electoral Officer,
 Govt. of Uttarakhand,
 Secretariat Compound,
 4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
 Uttarakhand

Date of Supply : 03.08.2018

Place of Supply : ISPN / NASHIK / Maharashtra

Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured/

Invoice / Bill Information

Invoice / Bill No./Date	2211801421/ 03.08.2018	Delivery Challan No./Date	811017790/ 03.08.2018
Order No./Date	11003473/ 16.05.2018	Reference No./Date	2018-19 940/XXV-14/2/
Customer	10006437	Invoice Amount	515009.00
Ship To Party	10006437	FI Doc No.	90181369

Invoice/Bill Details

Item No.	Material/Description	HSN Number	Quantity/ Unit	Price	Price Unit	Amount (in Rs.)	
000031	FGMI000025 Pink Paper Seals for EVM For Ballot Unit	49111090	45000 EA	10.00 INR	1 EA	450,000.00	
	IN: Integrated GST			12.00 %			
	EPP/Speed Charges:					55,179.54	
	Sub Total:					9,829.46	
	Total GST:					450,000.00	
	Invoice Amount (in Rs.)					55,179.54	
	Invoice Amount in Words:	RUPEES FIVE LAKH FIFTEEN THOUSAND NINE ONLY					515,009.00

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

ACCOUNT HOLDER NAME: GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

BRANCH CODE: 456

ACCOUNT NUMBER: 4560350000049

MICCR CODE: 422240003

IFSC/NEFT/RTGS CODE: HDFC0000456

Pan No.:AAJCS6111J

मुख्य निबंधन कार्यालय
 उत्तराखण्ड, देहरादून

(मस्तू दास) Mastu Das
 सहायक मुख्य निबंधन अधिकारी
 Assistant Chief Electoral Officer
 जिला उत्तराखण्ड, देहरादून

(निकिल राय)
 (NIKHIL RAY)

अधिकारी (वित्त एवं लेखा)

OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड
 INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD



विन्ड-सॉफ्ट

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF
INDIA LTD.) WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200; Fax No:+91-253-2462718, 2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

Tax Invoice / Bill

Bill to
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of
Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

Shipping Address
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,
DEHRADUN 248001
Uttarakhand
Date of Supply : 03.08.2018
Place of Supply : ISPN / NASHIK / Maharashtra
Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured/

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

DEHRADUN 248001
Uttarakhand
Date of Supply : 03.08.2018
Place of Supply : ISPN / NASHIK / Maharashtra
Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured/

Invoice / Bill Information

Invoice / Bill No./Date	2211801421/ 03.08.2018	Delivery Challan No./Date	811017790/ 03.08.2018
Order No./Date	11003473/ 16.05.2018	Reference No./Date	2018-19 940/XXV-14/2/
Customer	10006437	Invoice Amount	515009.00
Ship To Party	10006437	FI Doc No.	90181369

Invoice/Bill Details

Item No.	Material/Description	HSN Number	Quantity/ Unit	Price	Price Unit	Amount (in Rs.)
000031	FGMI000025 Pink Paper Seals for EVM For Ballot Unit	49111090	45000 EA	10.00 INR	1 EA	450,000.00
	IN: Integrated GST			12.00 %		55,179.54
	EPP/Speed Charges:					9,829.46
	Sub Total:					450,000.00
	Total GST:					55,179.54
	Invoice Amount (in Rs.)					515,009.00
	Invoice Amount in Words:	RUPEES FIVE LAKH FIFTEEN THOUSAND NINE ONLY				

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

ACCOUNT HOLDER NAME: GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

BRANCH CODE: 456

ACCOUNT NUMBER: 4560350000049

MICCR CODE: 422240003

IFSC/NEFT/RTGS CODE: HDFC0000456

Pan No.: AAJCS6111J

Verified
(डी पी डंगवाल)
अध्यक्ष आयोग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(मस्तू दास Mastu Das)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Assistant Chief Electoral Officer
उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड

(निरिण्ड राय)
(NIKHIL RAY)
अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड
INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD



बिल सं-3

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF
INDIA LTD.)WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200;Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J27

Tax Invoice / Bill

Bill to
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of
Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

Shipping Address
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

Date of Supply : 13.08.2018

Place of Supply : ISPN / NASHIK / Maharashtra

Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured

verified

(डी. पी. डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Invoice / Bill Information

Invoice / Bill No./Date	2211801551/ 13.08.2018	Delivery Challan No./Date	811017908/ 13.08.2018
Order No./Date	11003633/ 12.08.2018	Reference No./Date	2018-19 457-58/XXV-1/
Customer	10006437	Invoice Amount	1162649.00
Ship To Party	10006437	FI Doc No.	90181658

Invoice/Bill Details

Item No.	Material/Description	HSN Number	Quantity/ Unit	Price	Price Unit	Amount (in Rs.)
000011	FGZZ000053 Green Paper Seals for Ballot Boxes	49111090	60000 EA	3.00 INR	1 EA	180,000.00
	IN: Integrated GST			12.00 %		21,982.86
000021	FGZZ000055 Outer Paper Strip Seals for CU of EVM	49111090	60000 EA	14.00 INR	1 EA	840,000.00
	IN: Integrated GST			12.00 %		102,586.68
EPP/Speed Charges: <i>एमएम डेटाक पीडिआर जेक एचके एम</i>						18,079.46
Sub Total:						1,020,000.00
Total GST:						124,569.54
Invoice Amount (in Rs.)						1,162,649.00
Invoice Amount in Words: RUPEES ELEVEN LAKH SIXTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FORTY NINE ONLY						

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.

2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.

3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

ACCOUNT HOLDER NAME: GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

BRANCH CODE: 456

ACCOUNT NUMBER: 4560350000049

MICCR CODE: 422240003

IFSC/NEFT/RTGS CODE: HDFC0000456

Pan No.:AAJCS6111J

उपरोक्त हेतु पॉलि 1162649.00

(इ गजाले प्रवर्षाले हेजाट ह. ए. उपचा. (र) के)

(मस्तु दास Mastu Das)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Assistant Chief Electoral Officer
उत्तराखण्ड, देहरादून

(निखिल राय)
(NIKHIL RAI)

अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नासिक रोड
INDIA SECURITY PRESS : NASIK ROAD

विन्ड क्र-3



India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LTD.) WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200; Fax No:+91-253-2462718,2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

Tax Invoice / Bill

Bill to
GSTIN:
The Joint Chief Electoral Officer, Govt. of
Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,

Shipping Address
The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound,
4 - Subhash Road,

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

DEHRADUN 248001
Uttarakhand

Date of Supply : 13.08.2018

Place of Supply : ISPN / NASHIK / Maharashtra

Mode/Wagon no: By SpeedPost Insured

Verified

(डी. पी. डंगवाल)
आयुक्त अधिकारी
मुख्य नियंत्रण अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Invoice / Bill Information

Invoice / Bill No./Date	2211801551/ 13.08.2018	Delivery Challan No./Date	811017908/ 13.08.2018
Order No./Date	11003633/ 12.08.2018	Reference No./Date	2018-19 457-58/XXV-1/
Customer	10006437	Invoice Amount	1162649.00
Ship To Party	10006437	FI Doc No.	90181658

Invoice/Bill Details

Item No.	Material/Description	HSN Number	Quantity/ Unit	Price	Price Unit	Amount (in Rs.)
000011	FGZZ000053 Green Paper Seals for Ballot Boxes	49111090	60000 EA	3.00 INR	1 EA	180,000.00
	IN: Integrated GST			12.00 %		21,982.86
000021	FGZZ000055 Outer Paper Strip Seals for CU of EVM	49111090	60000 EA	14.00 INR	1 EA	840,000.00
	IN: Integrated GST			12.00 %		102,586.68
	EPP/Speed Charges: लागूगी एचएच वी.जे.के. के.पूवठ एच					18,079.46
	Sub Total:					1,020,000.00
	Total GST:					124,569.54
	Invoice Amount (in Rs.)					1,162,649.00
	Invoice Amount in Words:	RUPEES ELEVEN LAKH SIXTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FORTY NINE ONLY				

1. If the amount of the bill is not paid within three months, interest @12% will be charged.
2. Certified that particulars given above are True & Correct for India Security Press.
3. Payment can also be made through NEFT/RTGS, details of which are Annexed here with:

ACCOUNT HOLDER NAME: GENERAL MANAGER INDIA SECURITY PRESS (A unit of Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.)

BRANCH CODE: 456

ACCOUNT NUMBER: 4560350000049

MICCR CODE: 422240003

IFSC/NEFT/RTGS CODE: HDFC0000456

Pan No.:AAJCS6111J

M Das

(मस्तू दास Mastu Das)

आयुक्त अधिकारी

Page 1 of 2

उत्तराखण्ड Uttarakhand

Nikhil Rai

(निखिल राय)
(NIKHIL RAI)

अधिकारी (वित्त एवं लेखा)

OFFICER (FINANCE & ACCOUNTS)



विद्युत सं ३

India Security Press,
 (A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF
 INDIA LTD.) WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
 Nashik Road-422101 (Maharashtra)
 (ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
 Miniratna Category-I, CPSE
 Tel.No:+91-253-2402200; Fax No:+91-253-2462718,2466389
 e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
 CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

DELIVERY CHALLAN

Shipping Address

GSTIN:
 The Joint Chief Electoral Officer,
 Govt. of Uttarakhand,
 Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,
 DEHRADUN 248001
 Uttarakhand

Shipping Information

Delivery No./Date 811017908 / **13 AUG 2018**
 PO/indent 2018-19 457-58/XXV-14(2)/2018
 Sales Order 11003633 / 12.08.2018
 Customer Number 10006437
 Mode of Dispatch / **Speed post DND.**
 No. of Packages **16W**

(S. S. SHARMA)
 Supervisor (Sales & Distribution)
 पर्यवेक्षक (विक्री एवं वितरण)

Conditions

Shipping As Per indent/Order
 Delivery DDU NASHIK

Weight / No of Bags

Total weight 0.000
 Net weight 0.000

General Information

Please receive the following items in good condition and return the duplicate copy duly signed.

Shipping Details

Item No	Material /Description	HSN no.	Quantity	Face Value
1	FGZZ000053/Green Paper Seals for Ballot Boxes	49111090	60000 EA	0.00
	IN THE NEW DESIGN 2004-ISSUE. NOS.33AA-529001 - 33AA-589000			
2	FGZZ000055/Outer Paper Strip Seals for CU of EVM	49111090	60000 EA	0.00
	NOS.AM-067001 - AM-127000			
Total Face Value:				0.00
Face Value in Words: RUPEES NIL ONLY				
			18079.46	16 CIS Part 1 POSTAGE Rs 20249

Remarks:

ACKNOWLEDGEMENT

I certify that the material(s) delivered above have been duly checked on receipt in accordance with the rules. I have satisfied myself as to their correctness and I hereby acknowledge receipt of the material(s) amounting in face value to Rs:.....
 (In Words):

Name of Consignee

Name of Forwarding Authority

Date:

Signature
 Supervisor (Despatch)
 पर्यवेक्षक (विक्री एवं वितरण)



विड सं-3

India Security Press,
(A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF
INDIA LTD.) WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA
Nashik Road-422101 (Maharashtra)
(ISO-9001:2008 & 14001:2004 Certified Company)
Miniratna Category-I, CPSE
Tel.No:+91-253-2402200; Fax No:+91-253-2462718, 2466389
e-mail:csdisp@spmcil.com Web:http://ispnasik.spmcil.com
CIN: U22213DL2006GOI144763 GSTIN: 27AAJCS6111J2Z7

DELIVERY CHALLAN

- 3 AUG 2018

Shipping Address

GSTIN:

The Joint Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat Compound, 4 - Subhash Road,
DEHRADUN 248001
Uttarakhand

Shipping Information

Delivery No./Date 811017790 /
PO/Indent 2018-19 940/XXV-14/2018
Sales Order 11003473 / 16.05.2018
Customer Number 10006437
Mode of Dispatch By SpeedPost Insured /
No. of Packages 05 - ds



(D. S. SHALIGRAM)
Supervisor (Sales & Distribution)
पर्यवेक्षक (बिक्री एवं वितरण)

Conditions

Shipping As Per Indent/Order
Delivery DDU NASHIK

Weight / No of Bags


Total weight 0.000
Net weight 0.000

General Information

Please receive the following items in good condition and return the duplicate copy duly signed.

Shipping Details

Item No	Material /Description	HSN no.	Quantity	Face Value
1	FGMI000025/Pink Paper Seals for EVM	49111090	45000 EA	0.00
	SR. NOS. H-847001 - H-892000			
	EVM Unit For Ballot Unit			
Total Face Value:				0.00
Face Value in Words: RUPEES NIL ONLY				



Remarks:

ACKNOWLEDGEMENT

I certify that the material(s) delivered above have been duly checked on receipt in accordance with the rules. I have satisfied myself as to their correctness and I hereby acknowledge receipt of the material(s) amounting in face value to Rs:.....

(In Words):

Name of Consignee

Signature

Name of Forwarding Authority
Date:

Counter Signature

निर्वाचन-क्षेत्र को किए जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबंध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे ।]

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया--^{1*} * * * *

(3) ^{2***} धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यक्षीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

³[भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर-- (1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा ।

⁴[13कक. जिला निर्वाचन आफिसर-- (1) ^{5***} किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता ।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) ⁶[⁷ जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

¹ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।

² 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।

³ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।

⁵ 2004 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।

⁶ 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर- (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा ।]

¹[**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना-** इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यक्षीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

²[**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां-** (1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के, या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

भाग 3

³[**4*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]**

⁵[**14. परिभाषाएं-** इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; ⁴***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की ⁶[जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

¹ 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

² 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

⁵ 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 5 द्वारा (1-1-1959 से) "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना--राज्य की विधान परिषद् के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राज्यपाल ^{1***} ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और संपृक्त सब परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :
परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।]

भाग 4

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

19. परिभाषा--इस भाग में और 5 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "निर्वाचन क्षेत्र" से ^{2***} संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या सभा निर्वाचन-क्षेत्र या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

³[19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन--संविधान के, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के और इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, निर्वाचन आयोग के कृत्यों का, उपनिर्वाचन आयुक्त द्वारा या निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यक्षीन, यदि कोई हों, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, पालन किया जा सकेगा ।]

⁴[20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य--निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए हर एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सब निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।

⁵[20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य--(1) मुख्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद् और राज्य के विधान-मण्डल के सब निर्वाचनों के संचालन के संसद् में सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।]

⁶[20ख. प्रेक्षक--(1) निर्वाचन आयोग, एक प्रेक्षक का, जो सरकार का अधिकारी होगा, किसी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाएं, नामनिर्देशन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित प्रेक्षक को उस निर्वाचन-क्षेत्र के या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी के, जिसके लिए उसे नामनिर्देशित किया गया है, रिटर्निंग आफिसर को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना रोक देने या परिणाम को घोषित न करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बहुत से मतदान केन्द्रों में अथवा मतदान के लिए नियत स्थानों में या मतों की गणना के लिए नियत स्थानों में बूझों का बलात् ग्रहण किया गया है या किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान में प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों को रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल लिया गया है या घटनावश या साशय विनष्ट कर दिया गया है या खो दिया गया है या उस सीमा तक उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है या उनमें गड़बड़ की गई है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

(3) जहां किसी प्रेक्षक ने इस धारा के अधीन रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना रोकने या परिणाम की घोषणा न करने का निदेश दिया गया है, वहां प्रेक्षक, उस मामले की रिपोर्ट तुरन्त निर्वाचन आयोग को करेगा और ऐसा होने पर निर्वाचन आयोग, सभी तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, धारा 58क या धारा 64क या धारा 66 के अधीन समुचित निर्देश देगा ।

¹ विधि अनुसूचन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राज्यपाल, यथास्थिति," शब्दों का लोप किया गया ।
² 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 66 द्वारा कतिपय शब्दों को लोप किया गया ।
³ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 21 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
⁴ 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा धारा 20 और धारा 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
⁵ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 22 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
⁶ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-8-1966 से) अन्तःस्थापित ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, “प्रेक्षक” के अन्तर्गत प्रादेशिक आयुक्त या निर्वाचन आयोग का कोई ऐसा अधिकारी है जिसे आयोग द्वारा इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने का कर्तव्य सौंपा गया है।]

21. रिटर्निंग आफिसर—निर्वाचन आयोग, हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए और राज्य की विधान सभा के सदस्य द्वारा राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए, राज्य की सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो [सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा :

परन्तु एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने से निर्वाचन आयोग को इस धारा की कोई बात निवारित न करेगी।]

22. सहायक रिटर्निंग आफिसर—(1) निर्वाचन आयोग किसी रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु हर ऐसा व्यक्ति [सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा।

(2) हर सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर के जो कृत्य ^{2****} नामनिर्देशनों की संवीक्षा ^{3***} से सम्बद्ध हैं उनमें से किसी को कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर तब तक न करेगा जब तक कि रिटर्निंग आफिसर उक्त कृत्य को करने से अपरिवर्जनीयतः निवारित न हो जाए।

23. रिटर्निंग आफिसर के अन्तर्गत रिटर्निंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटर्निंग आफिसर आएंगे— इस अधिनियम में रिटर्निंग आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

24. रिटर्निंग आफिसर का साधारण कर्तव्य—किसी भी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह वे सब कार्य और बातें करे जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो।

[25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध—जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों का उपबन्ध करेगा जो सम्पूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबन्धित मतदान केन्द्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमशः उपबन्धित किए गए हैं, दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा।]

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति—(1) [जिला निर्वाचन आफिसर] हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन आफिसर और ऐसे मतदान आफिसर या ऐसे मतदान आफिसरों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान आफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन आफिसर उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित आफिसर की अनुपस्थिति के दौरान मतदान आफिसर होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन आफिसर को तदनुसार इत्तिला देगा :

[परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन आफिसर को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में के एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसर नियुक्त करने से निवारित न करेगी।]

(2) यदि मतदान आफिसर पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन आफिसर के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 23 द्वारा “सरकार का आफिसर” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

³ 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा “या मतगणना से” शब्दों का लोप किया गया।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 25 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) “रिटर्निंग आफिसर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) यदि पीठासीन आफिसर रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा जिसे 'जिला निर्वाचन आफिसर' ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

2*

*

*

*

*

27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य--मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य होगा।

28. मतदान आफिसर के कर्तव्य--मतदान केन्द्र के मतदान आफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें।

³[28क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना--किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।]

29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबंध--(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए ⁴रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है।

⁵[भाग 4क

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण--(1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,--

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

¹ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित और 2004 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया।

³ 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित।

⁴ 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा "(प्राथमिक निर्वाचन से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया।

⁵ 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा (15-6-1989 से) अन्तःस्थापित।